



कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.) भीम

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.-1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)



कमांक: अग्नि/ननिउ/2020-21/ 802

दिनांक:- 23/9/2020

व्यवस्थापक

युनिक इन्फ्राइजीनियरिंग प्रा. लि.

5-सी, मधुबन, महावीर कॉम्प्लेक्स

उदयपुर (राज.)।

विषय:- अग्निशमन यंत्र/उपकरणों का निरीक्षण एवं अग्निशमन सुरक्षा अभिशंषा प्रमाण पत्र दिए जाने बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से "मंगलमूर्ति अपाटमेंट" खसरा सं. 1127 से 1131, 1134, 1135 मुखण्ड सं. 17 व 18, भुवाणा, उदयपुर में निर्मित भवन का निरीक्षण किया गया जिसमें वर्तमान में लगे समस्त अग्निरोधी एवं अग्नि सुरक्षा उपकरण सही एवं कार्यशील पाए जाने पर निम्नांकित शर्तों की पालना किए जाने पर 1 वर्ष हेतु स्थाई अग्निशमन अनापत्ति जारी की जाती है।

1. बिल्डिंग परिसर में फायर हाईड्रेंट, होजरील सदा चालु हालत में रखना होगा।
2. बिल्डिंग परिसर में लगे फायर एस्टिंग्युशर सदा कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं समय-समय पर उनको रीफिलिंग कराना होगा।
3. बिल्डिंग परिसर में निर्मित पानी के ऑवर हैड फायर वाटर टैंक सदा पानी से भरे रखने होंगे।
4. बिल्डिंग परिसर में अग्निशमन व्यवस्था अग्निरोधी हेतु भवन में एमसीपी हूटर चालु हालत में रखने होंगे।
5. बिल्डिंग परिसर में लगे राईजर है जिसमें प्रत्येक तल पर होजरील होज फायर हाईड्रेंट चालु अवस्था में रखने होंगे।
6. आपात निकास द्वार सदा खुले रखने होंगे तथा फायर एग्जिट साईन बोर्ड दिखते हुए हालत में रखने होंगे।
7. बिल्डिंग परिसर की छत पर लगे फायर पम्प को सदा ऑटो पर चालु हालत में रखना होगा।
8. फायर अनापत्ति को नियत समयावधि में रिनिल करवाया जाना अनिवार्य होगा।
9. साल में कम से कम दो बार फायर मॉकड्रिल करवाई जानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की स्थिति में यह स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है। एक वर्ष पश्चात यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।

अग्निशमन अधिकारी
(जिला)
नगर निगम उदयपुर
अग्निशमन उदयपुर
नगर निगम, उदयपुर